<u>न्यायालय—अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड जिला बडवानी</u> (समक्ष— 'श्रीमती वंदना राज पाण्डेय्')

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 590 / 2012 संस्थित दिनांक 30.11.2012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, ठीकरी, जिला बडवानी

–अभियोगी

वि रू द्व

शेहजाद पिता सलीम नायता, उम्र 25 वर्ष, निवासी पीर बाबा बैडी ठीकरी

<u> –अभियुक्त</u>

अभियोजन द्वारा एडीपीओ – श्री अकरम मंसूरी अभियुक्त द्वारा अधिवक्ता – श्री बी.के. सत्संगी

-: <u>निर्णय</u>:-

(आज दिनांक 17/12/2016 को घोषित)

1— पुलिस थाना ठीकरी के अपराध कमांक 207/2012 के आधार पर दिनांक 26.10.2012 को रात्रि 13:30 बजे सामरतलाई आई.व्ही.आर.सी.एल. के प्लान्ट पर फरियादी लालिसंह के आधिपत्य से लोहे के 12 सिरये के टुकड़े 20 एम.एम. एवं 11 सिरये के टुकड़े 10 एम.एम. मूल्य लगभग रूपये 500/— उसकी अनुमित के बिना बेईमानीपूर्वक सदोष अभिलाभ प्राप्त करने के आशय से हटाकर चोरी करने के लिये भादिव की धारा 379 के अपराध का आरोप विचारणीय है।

2— प्रकरण में स्वीकृत तथ्य नहीं है।

3— अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 26.10.2012 को फरियादी लालिसंह ने थाना ठीकरी पर आकर अभियुक्त शेहजाद के विरूद्ध यह रिपोर्ट दर्ज कराई कि, वह आई.व्ही.आर.सी.एल. कम्पनी केम्प ठीकरी में सुपरवाईजर है। ठीकरी से 3 किलो मीटर दक्षिण में सामरतलाई पास उनकी कंपनी का केम्प है, जिसके पास नहर का पुल बन रहा है, जहां तमाम काम का लोहा पड़ा है आज करीब 1:30 बजे शेहजाद नाम का व्यक्ति केम्प पास पड़े लोहे के सिरये 20 एम.एम एवं 10 एम.एम., चुराकर सिरये के टुकड़े एक नायलोन की थैली में भरकर अपने साथ लाया और एक छोटी टू—व्हीलर बिना नम्बर की, पर ले जाने लगा जिसे चन्द्रशेखर ने देखा फिर उसे और ग्यारसीलाल को तत्काल बताने पर उन्होंने सिरये चुराकर ले जा रहे चोर को वहीं पकड़ लिया। उन्होंने उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम शेहजाद पिता सलीम नायता, निवासी ठीकरी का बताया। आरोपी द्वारा चुराये हुए सिरये करीब 25 किलो के

थे। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना ठीकरी में अपराध क्रमाक 207/2012 दर्ज किया जाकर विवेचना के दौरान अभियुक्त के कब्जे से 12 सिरये 20 एम.एम. के तथा 11 सिरये 10 एम.एम. तथा अपराध में प्रयुक्त मोटरसाईकिल एम. 80 बिना नम्बर की जप्त किये गये जाकर, अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, फरियादी एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये, घटना स्थल का नक्शामौका बनाकर बाद सम्पूर्ण विवेचना यह अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

4— उपरोक्त अनुसार मेरे पूर्व विद्वान पीठासीन अधिकारी महोदय द्वारा अभियुक्त को भादवि की धारा 379 के अंतर्गत आरोप पत्र विरचित कर सुनाए व समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध आरोप से इन्कार किया तथा विचारण चाहा। द.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में आरोपी का कथन है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है तथा बचाव में साक्ष्य देना प्रकट किया, लेकिन कोई साक्ष्य नहीं कराई गई है।

5— प्रकरण के युक्यिक्त निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि :—

क्र.	विचारणीय प्रश्न
अ	क्या आरोपी ने दिनांक 26.10.2012 को रात्रि 13:30 बजे सामरतलाई आई. व्ही.आर.सी.एल. के प्लान्ट पर फरियादी लालसिंह के आधिपत्य की वस्तु 12 सिरये के टुकड़े 20 एम.एम. एवं 11 सिरये के टुकड़े 10 एम.एम. मूल्य लगभग रूपये 500/— उसकी अनुमित के बिना बेईमानीपूर्वक सदोष अभिलाभ प्राप्त करने के आशय से हटाकर चोरी की?

विचारणीय प्रश्न कमांक—'अ' पर सकारण निष्कर्ष —

6— उपरोक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में अभियोजन साक्षी ग्यारसीलाल (अ.सा.—1) का कथन है कि वह अनुपस्थित अभियुक्त शहजाद को नहीं जानता है, वह वर्ष 2013 से वर्ष 2014 तक आई.व्ही.आर.सी.एल. कम्पनी ग्राम समरतलाई में सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्य करता था, तथा पुल में लोहे के सरियों का उपयोग किया जाता था तथा 20 एम.एम. एवं 12 एम.एम. के सरिये से पुल का कार्य किया जा रहा था। घटना एक वर्ष पूर्व की प्रातः लगभग 7:30 बजे की है, एक व्यक्ति जो लोहे के सरियों को चुराकर ले जा रहा था, उसे कंपनी का सुपरवाईजर लालसिंह कंपनी के गेट पर लेकर आया था, उस व्यक्ति के पास छोटी मोटरसाईकिल भी थी, जिसकी डिक्की के अंदर भंगार रखा हुआ था। कंपनी का सुपरवाईजर लालसिंह थाने पर रिपोर्ट करने आया था, उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि पुलिस ने उसके समक्ष कोई वस्तु जप्त की थी या नहीं, लेकिन जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी 1 एवं प्रदर्श पी 2 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है तथा गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी 3 के ए से ए भाग पर भी उसके हस्ताक्षर है।

7— इस साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित किया जाकर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि सरियाँ ले जा रहे शहजाद को उसने एवं चन्द्रशेखर ने मिलकर पकड लिया था। साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया है कि पुछने पर उस व्यक्ति ने अपना नाम शहजाद बताया था। साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया है कि वह, लालिसंह व चन्द्रशेखर के साथ सिरया व अभियुक्त शहजाद को पुलिस थाना ठीकरी पर लेकर गये थे। साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया है कि पुलिस ने थाना ठीकरी पर उसके समक्ष अभियुक्त शहजाद के कब्जे से 12 नग सिरये लोहे के 20 एम.एम. मोटे तथा 11 नग सिरये के टुकडे 10 एम.एम. मोटे को जप्त कर प्रदर्श पी 1 का जप्ती पंचनामा बनाया था। साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि पुलिस ने समरतलाई पर मोटरसाईकिल एम 80 बिना क्रमांक की जप्त की थी जिसका जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी 2 का बनाया था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि वह अभियुक्त को जानता—पहचानता है इस कारण उसे बचाने के लिये सही बात नहीं बता रहा है।

8— बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि जिस समय प्रदर्श पी 1 के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किये थे तब उसे पुलिस ने पढ़कर नहीं बताया था। साक्षी ने इस सुझाव का भी स्वीकार किया है कि उसने पुलिस को सरिया कौन चुराकर ले गया था यह भी नहीं बताया था।

सहायक उप निरीक्षक के.आर. भालसे (अ.सा.-2) का भी कथन है कि दिनांक 26.10.2012 को थाना ठीकरी पर फरियादी लालसिंह ने आई.व्ही.आर. सी.एल. कंपनी से 12 सरिये 20 एम.एम. तथा 11 सरिये 10 एम.एम. के टुकडे चोरी होने के संबंध में प्रदर्श पी 5 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाई थी, जिसके आधार पर अपराध क्रमांक 207 / 12 दर्ज किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा अभियुक्त शहजाद के कब्जे से थाना प्रांगण में 12 सरिये 20 एम.एम. के तथा 11 सरिये 10 एम.एम. के जप्त कर प्रदर्श पी 1 का जप्ती पंचनामा बनया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। अभियुक्त को उसने गिरफतार कर प्रदर्श पी 3 का गिरफतारी पंचनामा बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा अनुसंधान के दौरान फरियादी एवं साक्षी ग्यारसीलाल के कथन उनके कहे अनुसार लेखबद्ध किये थे। उसके द्वारा घटना स्थल आई व्ही आर सी एम केम्प समरतलाई पहुंचकर फरियादी लालसिंह की निशांदेही से प्रदर्श पी 6 का नक्शा मौका पंचनामा बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। घटना स्थल से ही उसने अपराध में प्रयुक्त मोटरसाईकिल एम. 80 बिना क्रमांक की जप्त कर प्रदर्श पी 2 का जप्ती पंचनामा बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। अनुसंधान पूर्ण कर केस डायरी थाना प्रभारी के सुपुर्द की थी।

10— बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव से इंकार किया है कि उसने फरियादी को रिपोर्ट पढ़कर नहीं सुनाई थी अथवा उसके केवल हस्ताक्षर ही करवाये थे। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसने जप्ती पंचनामा में कोरे फार्म पर फरियादी के हस्ताक्षर करवाये थे। साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया है कि उसने असत्य विवेचना की है अथवा वह असत्य कथन कर रहा है।

11— उक्त दोनों साक्षियों के अतिरिक्त किसी अन्य साक्षी का परीक्षण अभियोजन की ओर से नहीं करवाया गया है। प्रकरण के फरियादी को भी नहीं मिलने के कारण अदम पता घोषित किया गया है। ऐसी स्थिति में जबकि प्रकरण के फरियादी का परीक्षण नहीं कराया गया तथा चश्मदीद साक्षी और जप्ती पंचनामें के साक्षी अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया तो ऐसी स्थिति में पुलिस अधिकारी की एक मात्र साक्ष्य के आधार पर अभियोजन का मामला प्रमाणित नहीं होता और आरोपी को आरोपित अपराध या किसी भी अन्य अपराध के लिये दोषसिद्ध नहीं ठहराया जा सकता और उसके विरूद्ध कोई निष्कर्ष अभिलिखित नहीं किया जा सकता है।

12— उक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियेजन अपना मामला आरोपी के विरूद्ध संदेह से परे प्रमाणीत करने में पूर्णतः असफल रहा है। अतः यह न्यायालय अभियुक्त शहजाद पिता सलीम नायता, उम्र 25 वर्ष, निवासी पीर बाबा बैड़ी ठीकरी को संदेह का लाभ प्रदान कर, भादवि की धारा 379 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित करता है।

13- अभियुक्त के जमानत-मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

14— आरोपी के अभिरक्षा में रहने के संबंध में दंप्रसं. की धारा 428 के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

15— प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति 25 किलो भंगार सरिया तथा एक एम. 80 वाहन बिना नम्बर पूर्व से उनके पंजीकृत स्वामी / सुपुर्ददार के पास अंतरिम सुपुर्दगी पर है। उक्त सुपुर्दनामा, बाद अपील अवधि, अपील न होने पर नियमानुसार उन्हीं के पक्ष में स्वतः निरस्त समझा जावे, अपील होने पर माननीय अपील न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही की जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित।

(श्रीमती वन्दना राज पाण्ड्रेय) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजड़ जिला बड़वानी, म.प्र. (श्रीमती वन्दना राज पाण्ड्य) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजड़, जिला बड़वानी, म.प्र.